रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1987/फाल्गुन 8, 1908
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1987 PHALGUNA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी 1987

सा. का. नि 118(अ)—केन्द्रीय सरकार नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1984 में संशोधन करती है, अर्थात:—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1987 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. उक्त आदेश की धारा 2 के पैरा (छ) के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"और इस पद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उसके अधीन कार्य कर रहे किसी संस्थान द्वारा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए किए गए, बीजों और वनस्पति सामग्री के आयात से संबंधित निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भी सम्मिलित है।

[सं 8-5/86 पी.पी. I]

आर. के. श्रीवास्तव संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1987

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby amends the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1984, namely :—

(1) This Order may be called the Plants, Fruit and Seeds (Regulation of Import into India) Amendment Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In para (g) of clause 2 of the said Order, the following shall be inserted at the end, namely :—

"and the said term shall also include the Director, National Bureau of Plant Genetic Resources (Indian Council of Agricultural Research) in respect of imports of seeds and plant materials made by the Indian Council of Agricultural Research or any institute under it, for research purposes".

[No. 8-5|86-PPI]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987